



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित



संख्या - 330 राँची, बुधवार,
8 ज्येष्ठ, 1946 (श०)
29 मई, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

22 फरवरी, 2024

संख्या-7/प्रोन्नति-201/2023 का० 1343--विभागीय संकल्प संख्या 2013 दिनांक 10.04.2023 द्वारा राज्य की सेवा/संवर्गों में कार्मिक विभागीय पत्रांक 6752 दिनांक 24.12.2020 के द्वारा लगाये गये प्रोन्नति में रोक के फलस्वरूप सेवानिवृत्त पदाधिकारियों को देय तिथि से प्रोन्नति प्रदान करने के सम्बन्ध में संकल्प की कंडिका-6 में निम्नवत् निर्णय लिया गया है:-

- (i) कार्मिक विभागीय पत्रांक 6752 दिनांक 24.12.2020 द्वारा प्रोन्नति में लगायी गई रोक के फलस्वरूप राज्य के सेवा/संवर्गों में सेवानिवृत्त वैसे पदाधिकारीगण जो प्रोन्नति के अन्यथा योग्य (सम्बन्धित सेवाशर्त नियमावली में प्रावधानित सभी शर्तों यथा वरीयता, आरक्षण उपबन्ध, कालावधि आदि को पूर्ण करते हों) थे एवं प्रोन्नति प्रदान किये जाने वाले पद की तत्समय उपलब्धता थी, तो उन्हें झारखण्ड सेवा संहिता के नियम- 58 एवं झारखण्ड वित्त नियमावली के नियम - 74 के प्रावधानों को शिथिल करते हुए प्रोन्नति हेतु योग्य होने की तिथि से भूतलक्षी प्रभाव से सभी आर्थिक लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान किया जाय ।

- (ii) यह आदेश कार्मिक विभागीय पत्रांक 6752 दिनांक 24.12.2020 के द्वारा प्रोन्नति में लगायी गई रोक की तिथि (24.12.2020) से इस आदेश के निर्गत होने के मध्य सेवानिवृत्त पदाधिकारियों के सम्बन्ध में लागू होगी ।

2. उक्त संकल्प के आलोक में दिनांक 24.12.2020 से दिनांक 10.04.2023 के मध्य झारखण्ड सचिवालय सेवा से सेवानिवृत्त वैसे पदाधिकारी जो प्रोन्नति के अन्यथा योग्य हैं उनकी वरीयता क्रमानुसार संयुक्त सचिव, उप सचिव एवं अवर सचिव कोटि में प्रोन्नति हेतु सदस्य, राजस्व पर्षद की अध्यक्षता में दिनांक 05.02.2024 को सम्पन्न विभागीय प्रोन्नति समिति द्वारा विचार किया गया ।

3. झारखण्ड सचिवालय सेवा के उप सचिव कोटि में उपलब्ध तिथिवार रिक्ति की स्थिति निम्नवत् है-

क्र.सं.	उप सचिव कोटि में उपलब्ध रिक्ति की तिथि	आरक्षण कोटिवार रिक्ति		
1	2	3		
1.	24.12.2020	अना०-00	अ०ज०जा०-02	अ०जा०-00
2.	25.12.2020 अधिसूचना संख्या-5926 दिनांक-23.09.2022 द्वारा कुल 05 (अना०-3, अ०ज०जा०-1, अ०जा०-1) उप सचिव कोटि के पदाधिकारियों को दिनांक- 24.12.2020 के प्रभाव से संयुक्त सचिव कोटि में प्रोन्नति प्रदान की गई ।	अना०-03	अ०ज०जा०- 02 (पूर्व से) + 01	अ०जा०-01
3.	01.01.2021	अना०-01	अ०ज०जा०- 02 (पूर्व से) + 01	अ०जा०-00
4.	01.02.2021	अना०-02	अ०ज०जा०- 04 (पूर्व से)	अ०जा०-00
5.	26.04.2021	अना०-00	अ०ज०जा०- 04 (पूर्व से) + 01	अ०जा०-00
6.	04.05.2021	अना०-00	अ०ज०जा०- 05 (पूर्व से) + 01	अ०जा०-00
7.	01.06.2021	अना०-01	अ०ज०जा०- 06 (पूर्व से)	अ०जा०-00
8.	29.06.2021	अना०-00	अ०ज०जा०- 06 (पूर्व से) + 01	अ०जा०-00
9.	07.09.2021	अना०-00	अ०ज०जा०- 07 (पूर्व से) + 01	अ०जा०-00
10.	01.10.2021	अना०-02	अ०ज०जा०- 08 (पूर्व से)	अ०जा०-00

11.	01.11.2021	अना०-00	अ०ज०जा०- 08 (पूर्व से) + 01	अ०जा०-00
12.	01.01.2022	अना०-01	अ०ज०जा०- 09 (पूर्व से)	अ०जा०-00
13.	01.02.2022	अना०-04	अ०ज०जा०- 09 (पूर्व से)	अ०जा०-00

4. विभागीय प्रोन्नति समिति की अनुशंसा पर सक्षम स्तर के अनुमोदनोपरान्त झारखण्ड सचिवालय सेवा से सेवानिवृत्त अवर सचिव कोटि के निम्नांकित पदाधिकारियों को उप सचिव कोटि (पी०बी०-III) पे० बैंड रु०15600-39100/-, ग्रेड पे०- रु० 7600, पुनरीक्षित वेतनमान मैट्रिक्स लेवल-12) में स्तम्भ-5 में अंकित तिथि के भूतलक्षी प्रभाव से सभी वित्तीय लाभ सहित प्रोन्नति प्रदान की जाती है ।

क्र० सं०	सेवानिवृत्त अवर सचिव का नाम, विभाग का नाम, वरीयता क्रमांक एवं आरक्षण कोटि	जन्म तिथि/ से०नि० तिथि	अवर सचिव कोटि में प्रोन्नति की तिथि	उप सचिव कोटि में प्रोन्नति की देय तिथि
1	2	3	4	5
1.	श्री दिलीप कुमार विश्वास, सेवानिवृत्त अवर सचिव, सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग वरी०क्र०-782, (कोटि:- अनारक्षित-1)	12.12.1962 31.12.2022	31.01.2019	01.05.2022
2.	श्री चन्द्रशेखर प्रसाद, सेवानिवृत्त अवर सचिव, राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग वरी०क्र०-809, (कोटि:- अनारक्षित-2)	03.09.1962 30.09.2022	31.01.2019	01.02.2022

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अनल प्रतीक मिंज,
सरकार के उप सचिव ।
